[2021] 2 एस. सी. आर. 995

बृजेश कुमार

वी.

उत्तर प्रदेश राज्य, अपने सचिव के माध्यम से

(2020 की विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) No.773)

22 मार्च, 2021

[मोहन एम. शांतनागौदर और

अजय रस्तोगी, जे. जे.]

कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987-इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील को याचिकाकर्ता के लिए न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया गया था-उन्होंने अदालत का ध्यान आकर्षित किया कि इसमें, साथ ही अन्य मामलों में उन्हें न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया गया था।

विवादित निर्णय और उससे पहले के निचली अदालत के फैसले की प्रतियां प्रदान की गई हैं, जिससे प्रभावी प्रतिनिधित्व में गंभीर बाधा आती है-आयोजितः यह, अधिवक्ताओं द्वारा बार-बार उठाई जाने वाली शिकायतों से, एक सामान्य प्रथा को दर्शाता है, विशेष रूप से आपराधिक मामलों में-यह प्रथा केवल कार्य करती है

उन अधिवक्ताओं को अक्षम करें जो कानूनी संस्थानों के लिए एक सराहनीय सेवा करना चाहते हैं और खुद को उन लोगों के लिए कानूनी सहायता वकीलों और न्याय मित्र के रूप में पेश करते हैं जो अन्यथा प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं-किसी विशेष का पूरा रिकॉर्ड प्रदान किए जाने के अभाव में। इस मामले में, 1987 के अधिनियम द्वारा किए गए "मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाओं" का वादा केवल उन लोगों के लिए अधूरा रह सकता है जो सबसे बड़े स्तर पर हैं।

न्याय और प्रतिनिधित्व की आवश्यकता-बेहतर और अधिक प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व के लिए, निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैंः ए) द

सचिव, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, तत्काल प्रभाव से, 1987 के अधिनियम के तहत सभी संबंधित अधिकारियों को संबंधित कानूनी सहायता वकील को किसी मामले से संबंधित सभी दस्तावेज (आधिकारिक अनुवाद के साथ) उपलब्ध कराने का निर्देश देगा; ख) सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी सेवा समिति, और सभी उच्च न्यायालय और तालुक कानूनी सेवा समितियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया जाता है कि कानूनी सहायता वकील को मामले के सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड (किसी भी दस्तावेज के आधिकारिक अनुवाद के साथ) स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराए जाएं; ग) पर्याप्त सावधानी के साथ, यह न्यायालय यह भी स्पष्ट करता है कि इन दस्तावेजों में शामिल होंगे, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं, अभिवचन, शपथ पत्र।

दीवानी कार्यवाही में दायर आवेदन; और प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप पत्र और गवाह सहित संलग्न दस्तावेज।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बयान, मुकदमे की कार्यवाही का रिकॉर्ड, गवाही और आपराधिक कार्यवाही में रिकॉर्ड पर लाए गए प्रदर्शन।

राकेश वी. मध्य प्रदेश राज्य (2011) 12 एस. सी. सी.

513 ; शेख मुख्तार & anr. वी. आंध्र प्रदेश राज्य,

(2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1091-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(2011) 12 एस. सी. सी. 513

पै

रा 6

संदर्भित किया गया है

आपराधिक अपील

न्यायनिर्णयः विशेष अवकाश

2020 की याचिका (आपराधिक) No.773

उच्च न्यायालय के 29.08.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2011 की जेल अपील No.3220 में इलाहाबाद में न्यायिक कार्य।

गगन गुप्ता, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

मोहन एम. शांतनागौदर, जे.

गुण-दोष के आधार पर, हमने इस मामले पर विद्वान न्यायमित्र को सुना है

और अभिलेख पर सामग्री के माध्यम से गया। ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने विस्तार से, और रिकॉर्ड पर सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच की है, और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया जाए। याचिकाकर्ता आदतन अपराधी है। वह डकैती, हत्या आदि मामलों में शामिल है। हम रिकॉर्ड पर सामग्री के माध्यम से भी गए हैं और हम करते हैं विवादित निर्णयों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है। इसलिए, विशेष अनुमति याचिका विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है।

2. हालाँकि, इस मामले से अलग होने से पहले, हम करना चाहते हैं

सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में कानूनी सेवा प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता द्वारा बार-बार की गई प्रस्तुतियों के आधार पर कुछ टिप्पणियां। आम तौर पर, प्रतिष्ठित अधिवक्ताओं को कानूनी सेवा प्राधिकरण या न्याय मित्र के लिए अधिवक्ताओं के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। वे विकलांग महसूस करते हैं क्योंकि वे प्राधिकरण के खिलाफ कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं सिवाय इस शिकायत के कि उन्हें मामले को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान नहीं की गई है। इस संदर्भ में, हम कुछ टिप्पणियाँ करना चाहते हैं जो इस प्रकार हैं:

3. कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार न केवल मूल में बैठता है

संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन हमारी न्याय प्रणाली की संपूर्णता की नींव पर, चाहे वह नागरिक हो या बृजेश कुमार V.

उत्तर प्रदेश राज्य, अपने सचिव के माध्यम से [मोहन एम. शांतनगौदर, जे.]

अपराधी। इस अधिकार के सार्थक होने के लिए, यह आवश्यक है कि यह अमीर और गरीब, जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, के बीच अंतर न करे। कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार, जैसा कि न्याय और समानता की मांगों के कारण आवश्यक है, अभियुक्त के आर्थिक वर्ग या वित्तीय संसाधनों से अप्रभावित होना चाहिए।

4. इसके लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (इसके बाद, '1987 अधिनियम') अधिनियमित किया गया था, जो अपने लिए निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित करता है और

उद्देश्यः

" ..... समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना, यह सुनिश्चित करना कि किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए, और यह सुनिश्चित करने के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है।

5. उपरोक्त पवित्र उद्देश्य को अपने लिए सुरक्षित करने के बाद, अधिनियम ने कानूनी सेवा प्राधिकरणों का एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क बनाया है।

विभिन्न स्तरों पर कानूनी सेवा कार्यक्रम के जमीनी कार्यान्वयन के लिए कानूनी सहायता और सेवाओं के लिए नीतियां तैयार करने के साथ-साथ कानूनी सेवा समितियों (सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और तालुक स्तर के भीतर) का एक नेटवर्क बनाने के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तालुक स्तर)। 6. गरीबों के लिए न्याय तक पहुँच में एक गंभीर अंतर को भरने की आवश्यकता को और अधिक मान्यता देते हुए, यह भी एक अच्छी तरह से स्थापित स्थिति बन गई है कि, जहां कोई अभियुक्त बिना कानूनी प्रतिनिधित्व के न्यायालय के समक्ष आता है,

न्यायालय या तो न्याय मित्र नियुक्त करने के लिए बाध्य है या उसे उपयुक्त कानूनी सेवा समिति के पास भेजने के लिए बाध्य है जो तब अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अधिवक्ता नियुक्त करेगा (राकेश बनाम। मध्य प्रदेश राज्य, (2011) 12 एस. सी. सी. 513; शेख मुख्तार और अन्य। वी. आंध्र प्रदेश राज्य, (2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1091)। 7. उपरोक्त घटनाक्रम प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए न्याय को सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण छलांग लगाते हैं। हालाँकि, वर्तमान मामले ने कानूनी सहायता संस्थानों के कामकाज में एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति को हमारे ध्यान में लाया है।

8. इस मामले में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री गगन गुप्ता को याचिकाकर्ता के लिए न्याय मित्र के रूप में नियुक्त किया गया था।

सहायक पंजीयक, उच्चतम न्यायालय से दिनांकित 3.12.2019 का पत्र। श्री.

गुप्ता ने हमारे ध्यान में लाया है कि इस मामले में, साथ ही अन्य मामलों में उन्हें न्याय मित्र के रूप में नियुक्त किया गया था, उन्हें केवल विवादित फैसले और उससे पहले के निचली अदालत के फैसले की प्रतियां प्रदान की गई थीं, जिससे प्रभावी प्रतिनिधित्व में गंभीर बाधा उत्पन्न हुई थी। यह, हमारे सामने पेश होने वाले अधिवक्ताओं द्वारा बार-बार उठाई जाने वाली शिकायतों से, एक सामान्य प्रथा को दर्शाता है, विशेष रूप से आपराधिक मामलों में।

9. यह प्रथा केवल उन अधिवक्ताओं को विकलांग करने का काम करती है जो अन्यथा गैर-प्रतिनिधित्व वाले लोगों के लिए खुद को कानूनी सहायता वकील और न्याय मित्र के रूप में पेश करके हमारे कानूनी संस्थानों की सराहनीय सेवा करना चाहते हैं। किसी विशेष मामले का पूरा रिकॉर्ड प्रदान किए जाने के अभाव में, 1987 के अधिनियम द्वारा किए गए "मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाओं" का वादा केवल इसके लिए अधूरा रह सकता है।

जिन्हें न्याय और प्रतिनिधित्व की सबसे अधिक आवश्यकता है। का अधिकार

कानूनी प्रतिनिधित्व, यदि इसका कोई अर्थ है, तो प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व के अधिकार को समाहित करना चाहिए।

10. इस प्रकार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कानूनी सहायता संस्थानों की स्थापना में हमने जो बड़ी प्रगति की है, वह कागजी बाघ नहीं है। न्याय तक असमान पहुँच के खिलाफ संघर्ष करते हुए, हम निम्नानुसार निर्देश देते हैं:

ए। सचिव, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, तत्काल प्रभाव से, 1987 के तहत सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश देगा।

सभी दस्तावेजों (आधिकारिक सहित) को उपलब्ध कराने के लिए अधिनियम अनुवाद) संबंधित कानूनी सहायता के मामले से संबंधित

वकील।

बी। उच्चतम न्यायालय कानूनी सेवा समिति, और सभी

उच्च न्यायालय और तालुक कानूनी सेवा समितियाँ भी हैं

स्थानीय भाषा में दस्तावेज)। सी। पर्याप्त सावधानी बरतते हुए हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि ये दस्तावेज

इसमें शामिल होंगे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, अभिवचन, शपथ पत्र, दीवानी कार्यवाही में दायर आवेदन; और प्रथम सूचना

रिपोर्ट, आरोप पत्र और गवाह सहित संलग्न दस्तावेज बयान, मुकदमे की कार्यवाही का रिकॉर्ड, गवाही और प्रदर्शन

आपराधिक कार्यवाही में रिकॉर्ड पर लाया गया।

11. हम उम्मीद करते हैं कि इन निर्देशों का तुरंत पालन किया जाएगा और बेहतर और अधिक प्रभावी स्थिति के लिए यथास्थिति को बदला जाएगा

कानूनी प्रतिनिधित्व।

जेश कुमार बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, अपने सचिव के माध्यम से [मोहन एम. शांतनगौदर, जे.]12. इस आदेश की एक प्रति रजिस्ट्री न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण और सभी राज्यों को देने का निर्देश दिया गया है।

आवश्यक कार्रवाई के लिए सेवा प्राधिकरण।

13. लंबित आवेदन (ओं), यदि कोई हो, तो उसके अनुसार निपटाया जाता है]

ग्यान

निर्देश जारी

किए गए